International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.1 September – October 2022

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 और कौशल विकास

प्रा. डॉ. सुरेखा प्रे. मंत्री
श्रीमती नानकीबाई वाधवानी कला महाविद्यालय, यवतमाल.
Corresponding Author - डॉ. सुरेखा प्रे. मंत्री
Email - surekhamantri11@gmail.com
DOI - 10.5281/zenodo.7227760

प्रस्तावना:

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौजूद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर 29 जुलाई, 2020 को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अस्तित्व में आई। शिक्षा नीति में यह बदलाव कुल 34 वर्षो के अंतराल के बाद किया गया है, लेकिन बदलाव जरूरी था और समय की जरूरत के अनुसार यह पहले ही हो जाना चाहिए था। शिक्षा किसी भी देश और समाज के विकास की महत्वपूर्ण आधार होता है। शिक्षा के बलबूते ही किसी भी देश का विकास तेजी से किया जा सकता है। हालांकि समय के साथ-साथ हर चीजों में बदलाव आता है और उसके अनुसार शिक्षा में भी बदलाव किया जाना चाहिए क्योंकि पहले के समय में टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन अब दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है, लोग मॉर्डन टेक्नोलॉजी की ओर कदम बढा रहे हैं। ऐसे में बालकों को न केवल किताबी ज्ञान बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान और टेक्निकल ज्ञान भी दिया जाना चाहिए ताकि अपनी योग्यताओं को बढा सकें और उसके बलबूते पर अपने भविश्य को बेहतर बना सके।

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सीखने की क्रिया। इसी बात को ध्यान में रखतें हुए 2020 को संसद में नई शिक्षा नीति को लाने के लिए बिल पास किया गया। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले दो बार शिक्षण के तरीके में बदलाव हो चुका है पहला इंदिरा गांधी के दौरान और दूसरा राजीव गांधी के दौरान। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इस नई शिक्षा नीति के बारे में हर बच्चे और उनके माता-पिता को जानकारी होनी चाहिए। समय के साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक होता है ताकि देश की उन्नति सही तरीके से और तेजी से हो सके। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पालकों केवल किताबी ज्ञान देना नही है बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देकर उनकी मानसिक बौध्दिक क्षमता को और भी ज्यादा प्रबल बनाना है।

एजुकेशन पालिसी को हिंदी में ‘‘शिक्षा नीति’’ कहते है। इस नई शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में नए-नए चीजों को सीखने के प्रति रूचि जगाना है। ताकि बच्चे जीवन में अपनी योग्यताओं के बलबूते पर एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। इसके अतिरिक्त अपने मातृभाषा को बढावा देना भी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के पाठयक्रम को 5+3+3+4 के मॉडल में तैयार किया जाएगा। पहले यह 10+2 के अनुसार था। पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केंद्रित थी। विद्यार्थियों का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एकल दिशा वाला

दृष्टीकोण था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहू-विषयक दृष्टीकोण की प्रासंगिकता पर केंद्रित है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है।

नई शिक्षा नीति एक नए पाठयक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है, जो छात्रों को सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेंगी। शिक्षा को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तक पहुचाने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य 4-गुणवत्ता शिक्षा को पूरा करके स्थिरता को पूरा करने की ओर होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 वीं शताब्दीं की ऐसी पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए आने वाले आवश्यकता को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और उसके सांस्कुतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21 वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य, जिसके अंर्तगत शिक्षा व्यवस्था उसके नियमों का वर्णन सहित सभी पक्षों के सुधार और पुर्नगठन का प्रस्ताव रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तरपर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

नई शिक्षा नीति के तथ्य:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होंगी।

- एन. ई. पी.-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 69 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शेक्षिक मॉडल के स्थान पर शेक्षिक पाठयक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढावा देने पर बल दिया गया है।
- इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है।
- कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को भी मंजूरी दी गई है।
- 3 वर्श से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अंगनवाडी/बालवाटिका/प्री-स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण ''प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 6 से 8 वर्श तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरिय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाशा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में

मातृभाशा को कक्षा-8 के आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देना होगा।

- स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होंगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नही होंगी।
- बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठयक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान' स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से मातृभाषा या स्थानिय भाषा को बढावा देने का सुझाव दिया है।

पाठ्यक्रम का मूल्यांकन:

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला ओर विज्ञान, व्यवसायिक तथा शेक्षणिक विशयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्यतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नही होंगा।
- कक्षा-6 से ही शेक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटरशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी।
- राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदद्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विष्लेशण विषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैध्दांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10वीं 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्प प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना होंगी।
- 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुमान' को 27 प्रतिषत से बढाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड नई सीटों को जोडा जाएगा।
- 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसमें मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड सकेंगे ओर उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिए जाएगा- 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद डिग्री, 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने

के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी।

भारत उच्च शिक्षा आयोग:

चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोडकर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा HECI के कार्या के प्रभावी और प्रदर्षितापूर्ण निश्पादन के लिए चार संस्थनों का निर्धारण किया है-

1. विनिमय हेतु- National Higher Education Regulatory Council-NHERC
2. मानक निर्धारण- General Education Council-GEC
3. वित्त पोषण - Higher Education grants Council-HEGC
4. प्रत्यायन- National Accreditation Council-NAC

अब बच्चे अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी विषय का चयन कर सकते है। जैसे यदि कोई साइन्स का विद्याथी हैं ओर उसे आर्ट के किसी विषय को पढने की रूचि रखता है, तो वह उस विषय को पढ सकता है। वह उसका पै्रक्टिकल ज्ञान लेना चाहता हे तो वह इंटर्नशिप भी प्राप्त कर पाएगा। अब बोर्ड की परीक्षाओं के तरीके भी बदल जाएगें। बोर्ड की परीक्षा बच्चों के लिए बोझ नहीं होगी, विद्यार्थी अपने मनपसंद भाशा में बोर्ड की परीक्षा दे सकेगा। इसके अतिरिक्त मार्कशीट में काफी बदलाव होगा। इस मार्कशीट में उसके व्यवहार, मानसिक क्षमता और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि विद्यार्थीयों को केवल पढाई के प्रति ही नही बल्कि अन्य गतिविधियों में रूचि लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

उद्देश्य:

नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीयों को कुशल बनाने के साथ-साथ जिस क्षेत्र वह रूचि रखता है, उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह सीखनेवाले विद्यार्थी अपने उद्देश्य और अपनी क्षमता ओं का पता लगाने में सक्षम होते है। शिक्षार्थियों को एकीकृत शिक्षण प्रदान किया जाना है, उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यह बात लागू होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति के पूर्व शेक्षणिक परिदृष्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने से पूर्व भारत में 1986 की शिक्षा नीति संचालित थी जिसमें केवल किताबी बातों पर ध्यान दिया जाता था पुराने शिक्षा नीति में कही भी इस बात का जिक्र नहीं था कि स्कूल में कक्षा छः से बारहवीं तक अर्जित किया गया ज्ञान भविश्य में कैसे रोजगार सृजन में सहायक होगा। पुराने शिक्षा नीति पाठ्यक्रम प्रधान थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है। बचपन से ही बच्चों को अंग्रेजी में पढने लिखने हेतु विवश किया जाता था, जिस कारण बच्चा अपनी मातृभाषा से अनभिज्ञ बना रहा। पहले उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान यदि किसी कारणवंश बच्चा 1 या 2साल बाद पढाई बीच में छोडता है तो उसका नुकसान होता था।

उसका कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नही होता था, जिसके कारण पुनः डिग्री करने के लिए उसे अपने साल बर्बाद करने पडते थे। पहले कम्प्यूटर या तकनीकी ज्ञान का अभाव था, उसे शिक्षण संस्था में जाकर कोडिंग का ज्ञान लेना था किंतु अब छटी कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। नई शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम और अध्यापन विधि विकास पर बल दिया गया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं

सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विषेश ध्यान दिया जाए। पहले कॉलेज से 3 साल की डिग्री लेने के बाद 2 वर्ष स्नातकोत्तर और फिर 2 वर्ष का एमफिल उसके बाद 5 वर्ष पीएचडी करने के बाद शोध उपाधि प्राप्त होती थी। पर अब एमफिल को समाप्त कर दिया है।

नई शिक्षा प्रणाली:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा एक नकारात्मक कारक है क्योंकि भारत में एक समस्या ग्रस्त शिक्षक से छात्र अनुपात है, इसलिए शेक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विशय के लिए मातृभाषा की शुरूआत एक समस्या है। कभी-कभी एक समक्ष शिक्षक ढूंढना भी समस्या है। अब 2020 की शुरूआत के साथ एक और चुनौती आती है, जो अध्ययन सामग्री को मातृभाषा के साथ जोडता हे।
2. नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो छात्र स्नातक की पढाई पूरी करना चाहते है, उन्हें चार साल की पढाई करनी होंगी, जबकी कोई भी आसानी से दो साल में अपना डिप्लोमा पूरा कर सकता है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना मे बहुत कम उम्र में अग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों को संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में शेक्षणिक पाठ्यक्रम पढाया जाएगा।

नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम:

1. नई शिक्षा नाति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे बच्चा बचपन से ही अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ और जान पाएगा।
2. इस शिक्षा नीति के तहत यदि कोई बच्चा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाने में असमर्थ है या 3 वर्ष का कोर्स पूरा नही कर पाता है तो उसका नुकसान नहीं होगा उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्राप्त हो पाएगा। जिसका उपयोग वह रोजगार के क्षेत्र में कर पाएगा।
3. छठी कक्षा से ही बच्चों को इंटरशिप कराई जाएगी, जिससे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
4. शिक्षा नीति में कोडिंग को भी शामिल किया गया है, यानी बच्चे मात्र किताबी और व्यावहारिक ज्ञान नही नही अपितु तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
5. कुल मिलाकर यह नीति बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिष्चित करेगी।

नई शिक्षा नीति 30 वर्षो के बाद आई और भारत की मौजूदा शेक्षणिक प्रणाली को अकादमिक के अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर बनाने के उद्देष्य से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य वर्श 2040 तक एनईपी की स्थापना करना है। लक्षित वर्श तक योजना का मुख्य बिंदु एक-एक करके लागू किया जाना है। एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित सुधार केंद्र ओर राज्य सरकार के सहयोग से लागू होगा। कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर के मंत्रालयों के साथ विशयों की समितियों का गठन किया जाएगा।

निष्कर्ष:

यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैष्विक ज्ञान

महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत बनाए और समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देष के साथ जुडाव और बदलते विष्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें। इस नीति का विजन है छात्रों में भारतीय होने का गर्व केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुध्दि और कार्यो में भी रहे। साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैष्विक कल्याण के लिए प्रतिबध्द हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें।

''शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण।''

संदर्भ ग्रंथ:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- विकिपीडिया
2. इंटरनेट साइडस
3. शिक्षा नीति के धोरण-अमित कुमार